प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित अरविन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 148/2023 (अपील सूचना का अधिकार)
कन्हैयालाल नागदा पुत्र शंकरलाल नागदा निवासीः बुजड़ा, तहसील–गिर्वा, उदयपुर

...............अपीलार्थी

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर

..................प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 08-01-24

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 17.10.2023 को एक प्रार्थना पत्र प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र कमांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/148/23/1546–47 दिनांक 11.12.2023 से लिखा गया।

अपीलार्थी अनुपस्थित। सहायक लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी गिर्वा द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने जवाब जरिये पत्रांक स.लो.सू.अ. /2024/44 दिनांक 04.01.2024 से जवाब प्रस्तुत कर कार्यालय का अवगत कराया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में चाही गई सूचना के संबंध में प्रार्थी को कार्यालय के पत्र क्रमांक स.लो.सू.अ./2023/2386 दिनांक 08.11.2023 से शुल्क जमा कराने हेतु पत्र लिखा गया परन्तु प्रार्थी द्वारा शुल्क जमा नहीं कराने से सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि जवाब स्वीकार फरमाया जाकर अपील निरस्त कराने का श्रम करावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के कार्यालय में दिनांक 17.10.2023 को प्रेषित किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब जरिये पत्रांक 44 दिनांक 04.01.2024 से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा चाही जा रही

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

वांछित सूचना के संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को जरिये पत्रांक 2386 दिनांक 08.11.2023 से सूचना से संबंधित वांछित शुल्क जमा करा सूचना प्राप्त करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था परन्तु अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के कार्यालय में शुल्क जमा नहीं करवाये जाने से सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी।

ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है, अपीलार्थी को चाहिए कि वह सहायक लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी गिर्वा के कार्यालय में वांछित शुल्क जमा करा सूचना प्राप्त कर सकता है।

निर्णय की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दफ्तर दाखिल हों।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर